राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
8, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

महत्वपूर्ण
सर्वोच्च प्राथमिकता

क्रमांक/एन.एच.एम./शिशु स्वास्थ्य पोषण/2018/5060 भोपाल, दिनांक 09/05/2018

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषयः– मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूती सहायता) योजना 2018 के संबंध में निर्देश।
संदर्भः– शासन का पत्र क्रमांक – 645/1720/2018/17–2 दिनांक 04.05.2018

विषयांतर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूती सहायता) योजना (MMSSPSY) 2018 के संबंध में शासन के संदर्भित पत्र द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इस नवीन योजना के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित श्रमिक कर्मकार महिलाओं को शासकीय स्वास्थ्य संस्था में प्रसूति की स्थिति में कार्यस्थल से अनुपस्थिति के कारण होने वाली आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जायेगी जिससे माता एवं नवजात शिशु के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार हो सके।

1. मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूती सहायता) योजना का उद्देश्य :

योजना का उद्देश्य उच्च जोखिम गर्भावस्था की शीघ्र पहचान, सुरक्षित प्रसव, गर्भवती एवं शिशु के जन्म उपरान्त टीकाकरण व स्तनपान को समुचित बढ़ावा देना, महिलाओं व शिशुओं के स्वास्थ्यवर्धक व्यवहारों के प्रोत्साहन हेतु नकद प्रोत्साहन राशि के प्रावधान से अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है।

2. मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूती सहायता) योजना के लिये पात्रता :

1. 18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिला एवं प्रसूतायें।
2. संबंधित महिला पंजीकृत असंगठित कर्मकार होनी चाहिये।
3. प्रसूति सहायता शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने की स्थिति में ही देय होगी।
4. प्रसूति सहायता का लाभ अधिकतम 2 जीवित जन्म वाले प्रसव हेतु ही मान्य किया जायेगा।

3. शर्तें एवं प्राप्त होने वाला लाभ

क्र	किश्त	शर्त	राशि (रू.)
1.	प्रथम किश्त	• गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में अन्तिम तिमाही तक चिकित्सक/ए.एन.एम. द्वारा 4 प्रसव पूर्व जॉच कराने पर	4000/–
2.	द्वितीय किश्त	• शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने पर तथा • नवजात शिशु को संस्थागत जन्म उपरान्त शीघ्र स्तनपान व पंजीयन कराने पर तथा • शिशु को 0 डोज BCG, OPV व Hep B टीकाकरण कराने पर	12000/–
	कुल राशि		**16000/–**

3.1 प्रदेश में संचालित भारत सरकार की जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पात्र हितग्राहियों को उक्त योजना में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप अनुदान राशि की पात्रता पूर्ववत होगी।

3.2 प्रथम गर्भ धारण करने पर पात्र हितग्राही को प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय किश्त की राशि रूपये 3000/– का भुगतान किया जायेगा तथा शेष राशि रूपये 1000/– का भुगतान पात्र हितग्राही को मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना से किया जायेगा। द्वितीय गर्भधारण करने पर पात्र हितग्राही को सम्पूर्ण राशि रूपये 4000/– का भुगतान मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना से ही किया जायेगा।

3.3 मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना 2018 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली पात्र प्रथम प्रसव पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत तृतीय किश्त राशि रूपये 2000/– (शिशु की निर्धारित अवधि में प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण कराने पर) प्राप्त करने हेतु पात्रता होगी।

3.4 समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत चिन्हांकित श्रमिक सम्वर्ग की योजना एवं मध्यप्रदेश भवन निर्माण एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक कर्मकार महिलाओं के लिए प्रचलित प्रसूती सहायता योजना को अब

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूती सहायता) योजना 2018 के अंतर्गत समाहित करने की कार्यवाही प्रचलन में है। मंत्री परिषद के निर्णय उपरांत इस विषयक आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज व परीक्षण प्रक्रिया :–

आवश्यक दस्तावेज	परीक्षण प्रक्रिया
1. असंगठित महिला मजदूर का पंजीयन कार्ड 2. शासकीय स्वास्थ्य संस्था में प्रसव का प्रमाण पत्र (डिस्चार्ज टिकिट) 3. अधिकतम 2 जीवित जन्म वाले प्रसव का ए.एन.एम. द्वारा जारी प्रमाण पत्र 4. मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड (MCP Card) 5. आधार कार्ड की छायाप्रति 6. आधार संबद्ध बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति। 7. PMMVY के अंतर्गत भी पात्र हितग्राहियों द्वारा No Claim/अमांग संबंधी वचन पत्र (Self Declaration)	1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेज के आधार पर 2. ए.एन.एम./चिकित्सक द्वारा प्रमाणित MCP Card में दर्ज प्रविष्ठि के आधार पर 3. समग्र पोर्टल से हितग्राही का सत्यापन।

अवगत होना चाहेंगे कि माह जून में मुख्यमंत्री द्वारा श्रमिक सम्वर्ग हेतु महापंचायत का आयोजन किया जाएगा जिसके पूर्व मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूती सहायता) योजना के तहत पात्र हितग्राहियों का अनिवार्य पंजीयन आर.सी. एच. पोर्टल पर सुनिश्चित किया जाना है ताकि हितग्राहियों को योजना का त्वरित लाभ दिया जा सके।

निर्देशित किया जाता है कि :–

- मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना 2018 के क्रियांवयन के लिये जिला मातृ एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी (जिला टीकाकरण अधिकारी) को एतद आदेश द्वारा नोडल अधिकारी निर्धारित किया जाता है।
- इस नवीन योजना के तहत् ए.एन.एम. एवं आशा द्वारा पात्र श्रमिक कर्मकार महिलाओं का आर.सी.एच. पोर्टल ट्रेकिंग प्र–पत्र में निम्न जानकारी एकत्रित की जाये :–

अनिवार्य डेटा फील्ड	MMSSPSY अन्तर्गत वांछित डेटा फील्ड
1. आर.सी.एच. रजिस्टर में लक्ष्य दम्पत्ति क्रम संख्या।	1. समग्र आई.डी. क्रमांक
2. महिला का नाम	2. आधार नम्बर महिला
3. पति का नाम	3. आधार संबध बैंक खाता क्रमांक
4. मोबाईल नम्बर	4. वर्तमान में जीवित संतानो की संख्या
5. पंजीकरण दिनांक	5. ANC- 1 जॉच दिनांक
6. महिला की वर्तमान आयु	6 ANC- 2 जॉच दिनांक
7. पति की वर्तमान आयु	7 ANC- 3 जॉच दिनांक
8. पता	8 ANC- 4 जॉच दिनांक
9. वर्ग (अ.जा/अजजा/अन्य)	9. प्रसव का दिनांक
10. धर्म (हिन्दू/मुस्लिम/सिख/ईसाई/अन्य	10. जन्म के 1 घण्टे के भीतर स्तनपान शुरू किया गया
11. गरीबी रेखा विवरण	11. जन्म के समय टीकाकरण (दिनांक)

- 1000 हजार की जनसंख्या वाले ग्राम में वार्षिक तौर पर लगभग 25 जन्म होना अनुमानित है। इस प्रकार अनुमानित तौर पर किसी भी समय पर लगभग 10 से 12 गर्भवती महिलायें संभावित होंगी। आंकलन अनुसार प्रथम गर्भधारण करने वाली महिलायें लगभग 3 एवं द्वितीय बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं की संख्या 5 से 6 होना संभावित है।
- प्रति वर्ष शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में 12 लाख प्रसव होते हैं, जिसमें से 80 प्रतिशत प्रसव महिला श्रमिक कर्मकारों का होना आंकलित हैं (लगभग 9 लाख 60 हजार प्रसव)।

- इन 9.60 लाख प्रसव में से प्रथम जीवित जन्म वाली महिलाएँ लगभग 2.88 लाख (30%) एवं द्वितीय बार गर्भधारण करने वाली महिला श्रमिक कर्मकारों की संख्या लगभग 5.76 लाख (60%) होगी। शेष महिलाएँ 2 से अधिक संतानों वाली महिलाएं हो सकती हैं।
- इस प्रकार मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना 2018 के अंतर्गत क्रियान्वयन के प्रथम वर्ष में लगभग 8.64 लाख महिला श्रमिक कर्मकारों को लाभांवित करने की योजना हैं जिसके अनुसार प्रदेश में मासिक तौर पर प्रतिमाह 72 से 80 हजार हितग्राही लाभांवित होंगे।
- मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना को दिनांक 01/04/2018 से लागू किया गया है, अतएव माह जुलाई 2017 में गर्भधारण करने वाली महिलाएँ उक्त योजना के तहत प्रथम किश्त की प्राप्ति हेतु पात्र होंगी यदि ऐसी महिलाओं द्वारा 4 प्रसव पूर्व जॉच दिनांक 01/04/2018 को अथवा उसके बाद सुनिश्चित किया गया हो। ऐसी हितग्राही उपरोक्त वर्णित दस्तावेज प्रस्तुत कर इस योजना के अन्तर्गत प्रावधानित किश्तों का लाभ प्राप्त कर सकेगी।
- ए.एन.एम द्वारा ग्राम स्वास्थ्य पंजी में दर्ज जानकारी के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं की सूची से मिलान कर आर.सी.एच. पोर्टल ट्रेकिंग प्रपत्र भरे जाएं। आंकलन अनुसार 1 हजार की जनसंख्या वाली ग्राम में लगभग 9–10 गर्भवती महिला श्रमिक कर्मकार होना संभावित है। इस प्रकार 1 ए.एन.एम. के क्षेत्राधिकार में 72–80 महिलाएँ होंगी जिन्हें इस नवीन योजना के तहत अनिवार्य रूप से आर.सी.एच. पोर्टल पर पंजीकृत कर उनका डेटा अद्यतन किया जाना होगा।
- यदि महिला का समग्र आई.डी. क्रमांक (असंगठित महिला श्रमिक कर्मकार कार्ड क्रमांक अथवा उसके द्वारा सूचित पंजीयन क्रमांक) पूर्व से ए.एन.एम के रिकॉर्ड में उपलब्ध न हो तो ए.एन.एम. द्वारा यह जानकारी प्राप्त करने हेतु क्षेत्र की आशा से सहयोग प्राप्त किया जाए।
- आशा द्वारा ग्राम की पात्र महिला श्रमिक कर्मकारों से उनके एम.सी.पी. कार्ड की छायाप्रति प्राप्त कर ए.एन.एम को सौंपी जाए।
- **उपरोक्त कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिक्ता देते हुए दिनांक 31 मई 2018 तक समस्त पात्र महिला श्रमिक कर्मकारों की जानकारी ए.एन.एम द्वारा विकास खण्ड कार्यालय में सौंपी जाए।**
- **विकासखण्ड स्तर पर मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना 2018 के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की जानकारी आउटसोर्स डेटा एंट्री ऑपरेटर के माध्यम से दिनांक 05 जून 2018 तक अनिवार्य रूप से इंद्राज किया जाए।**
- **पत्र में ऊपर दर्शाये 22 डेटा एलीमेन्ट (अनिवार्य डेटा फील्ड व MMSSPSY के वांछित डेटा फील्ड) की जानकारी ए.एन.एम द्वारा प्रस्तुत भरे हुए आर.सी.एच पोर्टल – ट्रेकिंग प्रपत्र के आधार पर आर.सी.एच पोर्टल पर अपडेट किया जाए। आउटसोर्स डेटा एंट्री ऑपरेटर को इस प्रकार एक पात्र हितग्राही की जानकारी आर.सी.एच पोर्टल पर इंद्राज करने पर प्रति प्रपत्र राशि रूपये 4/– दिया जाए।**
- <u>उपरोक्तानुसार संभावित व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य कार्ययोजना के अंतर्गत नियोजित गतिविधियों के अंतर्गत किया जाएगा जिसके लिये एफ.एम.आर. कोड क्रमांक भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होते ही पृथक से सूचित की जायेगी।</u>

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आयोजित की जाने वाली माह जून में श्रमिक महापंचायत के पूर्व उपरोक्त कार्यवाही तय समय सीमा में पूर्ण की जाए ताकि अधिकाधिक महिला श्रमिक कर्मकारों को नवीन मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना 2018 के अंतर्गत लाभांवित किया जा सके।

<u>प्रमुख सचिव स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित</u>

(डॉ. बी.एन. चौहान)
संचालक,
एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश

क्रमांक/एन.एच.एम/शिशु स्वास्थ्य पोषण/2018 भोपाल, दिनांक /05/2018

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ।

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, महिला बाल विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
6. आयुक्त, स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
7. आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवायें, मध्यप्रदेश।
8. सचिव स्वास्थ्य, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
9. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
10. वित्तीय सलाहकार, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, सतपूणा भवन भोपाल।
11. संचालक वित्त, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
13. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
14. समस्त जिला मातृ एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी (जिला टीकाकरण अधिकारी) मध्यप्रदेश।
15. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
16. समस्त जिला लेखा प्रबंधक, एन.एच.एम मध्यप्रदेश।
17. समस्त जिला एम.एण्ड.ई. अधिकारी मध्यप्रदेश।

\\

संचालक,
एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश